कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/हिनि/28129/खेलकूद/2019–20 दिनांकः–10-12-2019

निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर,
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)(माध्यमिक/प्रारंभिक)
समस्त डाईट प्राचार्य
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः– शिक्षा विभागीय कार्मिकों के पुत्र/पुत्री के राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर पुरस्कार राशि बाबत।

हितकारी निधि में माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के अर्न्तगत शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों (पुत्र/पुत्री), जिन्हे राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर अयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, को निम्नानुसार आवेदन करने पर पुरस्कार राशि प्रदान की जावेगीः–

01 योजना का लाभ जो वित्तीय वर्ष 2018–19 से लगातार हितकारी निधि के अंशदाता है उन्हे ही प्रदान किया जावेगा।
02 योजना का प्रारंभ वर्ष 2019–20 से है, अतः इससे पूर्व के प्रकरणों में योजना लागू नहीं है।
03 प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त करने के वर्ष का अंशदान कटौती साक्ष्य (ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल) एवं उससे पूर्ववर्ती वर्ष का अंशदान कटौती साक्ष्य संलग्न करना होगा।
04 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर संबंधित अधिकारी से अग्रेषण कराना होगा।
05 प्रतियोगिता में राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने के प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जावें। (स्वंय प्रमाणित)
06 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,000/– रूपये एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 11,000/– रूपये की राशि प्रदान की जावेगी।
07 आवेदन पत्र के साथ विभाग के कार्मिक कि पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट प्रति या निरस्त चैक संलग्न करें।
08 पुरस्कार राशि शिक्षा विभागीय कार्मिक (आवेदक) के खाते में ई0सी0एस0 के माध्यम से जमा कराई जावेगी।
09 अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी, अतः निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशानुसार ही आवेदन पत्र प्रेषित किये जावें।
10 उपरोक्त लाभ कार्मिक के सेवाकाल में एक बार ही देय होगा।

10.12.19

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
5. संपादक शिविरा पत्रिका।
6. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को विभागीय वेब–साईट एवं शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

10.12.19

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

हितकारी निधि

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी–निधि से शिक्षा विभागीय समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक) के बच्चों (पुत्र/पुत्री) को खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र।

1	कर्मचारी का नाम	....
2	कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान	....
3	कर्मचारी का स्थाई पता	....
4	टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर	....
5	हितकारी निधि अंशदान 2018–19 से ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें।	....
6	कर्मचारी की Employe ID संख्या	....
7	छात्र/छात्रा का नाम एवं सम्बन्ध	....
8	पुरस्कार प्राप्ति का वर्ष.	....
9	प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त करने का प्रमाण–पत्र। (संलग्न करें)	....
10	कार्मिक का बैंक खाता विवरण पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या निरस्त चैक	....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं मे कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी–निधि, शिक्षा–विभाग, बीकानेर मेरे विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद
एवं कार्यरत स्थान

....

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) से अग्रेसित करवाया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर खेलकूद योजना हेतु प्रार्थना–पत्र अनुशंषा सहित अग्रेसित किया जाता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0
(मुख्यालय)
(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)